

नम्बर व तारीख  
उपस्थान जो प्रत  
सुप्रीम कोर्ट कार्यालय  
में जारी हुए

दिनांक

27/3/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष  
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से ब्यस्त  
अवकाश में है। पत्रावली समक्षिक आदेश  
दिनांक 23/6/25 को पेश हो।

श्री कलक्टर

~~23/6/25~~

~~सहायक~~

सहायक कलक्टर

सहायक

25/6/25

मि. गिरी

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय/विधि/2025/42033 दिनांक 13/2/25 द्वारा  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1956 के धारा  
53, 58, 59, 62, 183, 188 एवं 212 के अन्तर्गत विद्यमान तहसील तवाड़पुर की पत्रावली का अंतरित  
होकर वास्ते सुनवाई प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरणों में समस्त पक्षकारों को वास्ते सुनवाई तलख किया  
जाकर कार्यवाही की जाती है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा से अंतरित उक्त पत्रावलियों  
का सम्पन्न रूप से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जगदितार्थ राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1956 की  
धारा 216 (3) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेशित किया जाता है कि उक्त समस्त पत्रावलियों  
में ब्यक्ति न्याय प्रदान किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु फेम्प कोर्ट दिनांक 25/6/25


तक ~~सहायक~~ पेश करें।

गेगा का रखा पेश हुई। वारी तै- 2 व 4

उपस्थित। ILR आकोला उप-वाइल

आरापी नं. 14, 260/25 कुल किता 2 कुल

बकवा 1.29 64 है। धूमि व तैमान रजमन रिकार्ड प्रस्ता  
वादिगाण के नाम एवं रिकार्ड ले चुकी है। अतः वादिगाण  
जवा-गहा गण अनुवीक्ष वादिगाण की प्राप्त ले चुका  
है। अतः वादपत्र में कोई कार्यवाही मंजूर नहीं  
होने से वादिगाण द्वारा उपर्युक्त वादपत्र खारिज किया  
जाता है। विधि सेर इजलास सुनाया गया। पत्रावली  
फौजल सुमार लोक दारुल दफ्तर ही तला नम्बर  
से कम हो।

  
25/6/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा